अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गुलाब पुत्र मोती ..... बनाम रंगू राम पुत्र भल्ला जाति राजपूत
जाति राजपूत / अन्य /

किस्म मुकदमा ..... नम्बर 24 सन 2022 (नामिकास)
225 आर.टी.एक्ट

2022/24

श्री महेन्द्र सिंह चौहान

06.01.22

यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.11.2021, प्रकरण संख्या 85/2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 12.01.2022 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

12.1.22

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रतिवादीगण/ अपीलांट एवं तरतौबी रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 18 की सह खातेदारी/ सह काश्तकारी की भूमि वाकै ग्राम कानाखेड़ी तहसील नसीराबाद में अवस्थित है जिसका वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वर्णन निम्न प्रकार है:— खाता संख्या 349/335, खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.44 है., खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.51 है., खसरा नम्बर 1068 रकबा 2.84है. है। उक्त आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए उक्त आराजीयात का बंटवारा किया जावें। उक्त राजस्व वाद के साथ वादी द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् दिनांक 23.11.2021 को अन्तरिम निषेधाज्ञा अपने पक्ष में जारी करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात बाबत् अपीलांट द्वारा दिनांक 20.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपने पक्ष में खरीद लिया जिसकी जानकारी वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भली भांति थी तथा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तहसीलदार, नसीराबाद के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अपीलांट के विक्रय पत्र को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत कर उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तकरण स्वीक नहीं किये जाने का पेश किया था तथा विवादित आराजी सम्बन्ध सिविल न्यायालय में पक्षकारों के मध्य एक वाद विचाराधीन है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सम्पूर्ण मामले की जानकारी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने मसूबो में कामयाब नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित हुए गुमराही पेश कर राजस्व वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पक्ष में एक पक्षीय आदेश दिनांक 23.11.2021 पारित करवा लिया जो,निरस्त योग्य हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट/अपीलांट के पक्ष में है। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार भी यही प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गुलाब पुत्र मोती राम बनाम जगदीश पुत्र मोती राम

जाट

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 241/2022 (नसीराबाद)

पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.11.2021 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.11.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक आराजी मुतनाजा के मौके की स्थिति यथावत रखने व विशिष्ठ भू-भाग का बेचान नहीं करने से पाबंद किया गया है। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करने के आदेश दिये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 23.11.2021 की अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत नहीं कर उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम गोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णयन के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का शीघ्र निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को निर्देशित करना उचित समझते है। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों को सुनकर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर